कार्यालय जिला परिषद, झुंझुनूं

जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाएं :

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना :–

- केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं स्थाई परिसम्पत्तयों का सृजन करने हेतु महात्मा गांधी योजना प्रारम्भ की गई है। जिले में यह योजना **01.04.2008 से प्रारम्भ** की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार को एक वर्ष में **100 दिवस** का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कानूनी अधिकार दिया गया है जिसके अन्तर्गत कोई भी ग्रामीण परिवार का सदस्य जो अकुशल श्रम करने का इच्छुक है तथा जॉब कार्डधारी है रोजगार प्राप्त करने हेतु अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा उस व्यक्ति को उसकी मांग के अनुसार **15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराना** होगा। 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जायेगा। बेरोजगार भत्ता प्रथम 30 दिवस तक अधिकतम **श्रमिक दर का 1/4 एवं इस अवधि के पश्चात 1/2 दर** से देय है। योजना में अकुशल श्रमिक की मजदूरी प्रतिदिन **अधिकतम 173 रू0, अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की दर 185 एवं कुशल श्रमिक की दर 600 रू0 है।**
- योजना में जल सरंक्षण, वृक्षारोपण, सिंचाई सुविधा, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण, ग्रामीण संपर्क सड़कें, ग्रामीण स्वच्छता के सार्वजनिक कार्य एवं **जोबकार्डधारी अ0जा0, अ0ज0जा0, बी0पी0एल0, इन्दिरा आवास के हिताधिकारी, लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के परिवारों के लिए व्यक्तिगत लाभ के कार्य** (केटेगरी IV) सिंचाई सुविधा, बागवानी, पौधारोपण, भूमि विकास, कुक्कुट/ बकरी आश्रय स्थल, शौचालय, वर्मी कम्पोस्ट के कार्य कराये जा सकते हैं। अधिकतम स्वीकृति 3.00 लाख तक की जा सकती है।
- योजना की प्रगति निम्न प्रकार से है–

क.सं.	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	चालू कार्य	व्यय राशि
1	2002	49	1028	2215.51 लाख रू0

- झुन्झुनूं जिले की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के मध्यनजर एवं जन सामान्य के शैक्षणिक एवं कृषि गतिविधियों में प्रबद्ध रहने के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत परम्परागत रूप से करवाये जाने वाले कार्यो का अभाव होने एवं अर्द्ध शुष्क जिला होने से प्राकृतिक जल स्रोत्रों (नदी, नाले) के अभाव के कारण बरसात एवं घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नही होने को ध्यान में रखते हुए गांवों पक्की नाली/ नाला निर्माण करवाना अथवा पाईप लाईन के जरिये पानी निकासी की व्यवस्था करने हेतु योजना तैयार की गई एवं ग्राम पंचायत एवं

जिला स्तर पर श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 बनाये रखने हेतु जल निकासी (Drainage) कार्यों की स्वीकृति जारी की गई हैं, जिनकी प्रगति निम्न प्रकार से है–

- गांवों में जल निकासी (Drainage) कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (राशि लाखों में)

पंचायत समिति/ विभाग का नाम	स्वीकृत कार्य	नाम ग्राम पंचायत	प्रगतिरत कार्य	अप्रारम्भ कार्य
अलसीसर	1	हंसासर	1	–
बुहाना	4	पचेरी कला, बुहाना, झारोडा एवं काजला	1	3
चिड़ावा	2	सुल्ताना एवं बदनगढ़	1	1
झुंझुनूं	7	नूहॉ–2, कुलोद कला –3, अजीतगढ़ एवं नयासर	5	2
खेतड़ी	17	गाडराटा–2, हरडिया –2, कांकरिया, मानोता जाटान, लोयल, दूधवा –3, सिहोड़, रवां –2, मुकुन्दपुरा, ढोसी, ठाठवाड़ी –2, शिमला –2	7	10
नवलगढ़	2	कुमावास, राणासर	0	2
सूरजगढ	9	कुलोठ कला –2, पिलोद –2, भावठड़ी –2, डालमिया ढाणी –2 एवं लोटिया	6	3
उदयपुरवाटी	5	इन्द्रपुरा, चंवरा, टीटनवाड़–3	0	5
योग	47	47	21	26

क्र0 स0	कार्यकारी संस्था	स्वीकृत कार्य	गांवों की संख्या	ग्रा0प0 की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	प्रगतिरत कार्य
1	ग्राम पंचायत	**47**	**36**	**31**	**463.14**	**210.00**	**21**
2	लाईन विभाग	**24**	**16**	**14**	**534.96**	**350.00**	**22**
	योग	**71**	**52**	**45**	**998.10**	**560.00**	**43**

- केटेगरी (IV) व्यक्ति लाभ के कार्य (कृषि भूमि पर वृक्षारोपण) के कार्य हाथ में लिये गये हैं। **व्यक्तिगत लाभ केटेगरी (IV) के अन्तर्गत 1415 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 460 कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।**

2. **<u>आवास योजनाएं :–</u>** आवास मानव की एक मौलिक आवश्यकता है। आवास प्रकृति के कहर से बचाता है और बाहरी दुनिया के शोर–शराबे से हमें सुरक्षित रखता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे घर की कामना करता है जिसपर उसका मालिकाना हक हो और जिससे उसे मानसिक संतुष्टि और पहचान मिले।

   - **इन्दिरा आवास योजना :–** ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो 01 जनवरी 1996 से प्रारम्भ की गई है। मूलरूप से इन्दिरा आवास योजना बेघर और जीर्ण–शीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवास योजना है, जिसमें भूमिहीन गरीबों को मकानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाला घटक भी शामिल है।

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें अपने मकान बनाने के कार्य में मदद के लिए बनाई गई है। वर्तमान में सेन्सस 2002 के आधार पर तैयार वरिष्ठता सूची में आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। योजना में बीपीएल सेन्सस 2002 में 0 कोड आवासहीन व 01 कोड कच्चा मकान वाले परिवारों को लाभ देय है।

योजना के अन्तर्गत नए आवास का निर्माण जिसका निर्मित क्षेत्र शौचालय को छोड़कर कम से कम 20 वर्ग मीटर हो तथा मकान पक्का हो, का निर्माण करने पर निम्नानुसार सहायता राशि देय है–

योजना के अन्तर्गत सहायता राशि :

योजना मद से देय राशि	70000 रूपये
मनरेगा से देय राशि (90X173 =15570)	15570 रू0
शौचालय हेतु देय राशि(स्वच्छ भारत मिशन)	12000 रू0
कुल देय सहायता राशि	97570 रू0

- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए 16 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष के दौरान 16 आवासों की स्वीकृति जारी की गई है।**

- **मुख्यमंत्री आवास योजना :–** जिले में लागू नहीं है।

- **अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना :–** इन्दिरा आवास योजना की पात्रता सूची के अतिरिक्त राज्य के अन्य आवासहीन गरीब परिवार जो इन्दिरा आवास योजना हेतु पात्र नहीं हैं, को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट में अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत चिन्हित आदिवासी जन जातीय जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में निवास करने वाले **आदिवासी जनजाति परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, विकलांग परिवार एवं एकल विधवा परिवार** श्रेणियों के आवासहीन/ कच्चा मकान/ जीर्ण–शीर्ण पक्का आवास वाले परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसमें इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी को वर्तमान में प्रचलित अनुदान व अन्य लाभ के समकक्ष होंगे अर्थात निम्नानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

योजना मद से देय राशि	70000 रूपये
मनरेगा से देय राशि (90X173 =15570)	15570 रू0
शौचालय हेतु देय राशि(स्वच्छ भारत मिशन)	12000 रू0
कुल देय सहायता राशि	97570 रू0

योजना में वर्ष 2015–16 के लिए 60 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिनकी स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

3. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** :– योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंषा करने हेतु सक्षम बनाना है। योजना के आरम्भ से ही, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थाई परिसम्पत्तियों अर्थात पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क इत्यादि का सृजन किया जा रहा है। **योजना 1933–94 से प्रारम्भ की गई है।** योजना प्रारम्भ के समय प्रत्येक संसद सदस्य को 5 लाख रू0 की राशि आवंटित की गई थी जो वर्ष 1994–95 में एक करोड, 1998–99 में दो करोड एवं वर्ष **2011–12 से बढ़कार इसे पांच करोड़ कर दिया गया है।**

योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है तथा समस्त राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

- योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल उपलब्ध राशि 542.68 लाख रू0 में से 197.10 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 29 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा 34 कार्य प्रगति पर है।

4. **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** :– विधान सभा सदस्यों को उनके विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायकों की अभिशंषा पर पूँजीगत प्रकृति के छोटे–छोटे विकासात्मक निर्माण कार्य कराने के उद्देश्य से ' **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना''** वित्तीय वर्ष **1999–2000 से प्रारम्भ** की गई है।

स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय/पंचायतीराज संस्था/ स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय की **स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराना, क्षेत्रीय विकास में असंतुलन दूर करना** तथा स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना योजना के उद्देश्य हैं।

वर्तमान में प्रति वर्ष प्रति विधान सभा क्षेत्र 200.00 लाख रू0 आवंटन निर्धारित है। प्रति वर्ष प्रति विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बस्तियों एवं सम्बल ग्रामों के विकास कार्यों पर अनुशंषित करना अनिवार्य है। योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है।

- योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल उपलब्ध राशि 183.88 लाख रू0 में से 501.27 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 101 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा 135 कार्य प्रगति पर है।

5. **गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना** :– माननीया मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा भाषण की अनुपालना में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास , रोजगार सृजन एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **''गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना'' वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गई है।**

योजना के उद्देश्यः

- गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण
- रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता
- समुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार

योजना की विशेषताएं :

- राज्य वित्त पोषित योजना है एवं केचल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है।
- इस योजना में नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे, विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन/ अपूर्ण कार्य भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगा :

कार्यों का विवरण	जन सहयोग	राज्य मद
▪ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन	30 प्रतिशत	70 प्रतिशत
▪ सृजित परिसम्पत्ति पर दानदाता का नाम अंकन स्थिति में	51 प्रतिशत	49 प्रतिशत करने की
▪ शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी मय सुविधाओं का निर्माण यथा वृक्षारोपण, शैड, चबूतरा आदि	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत
▪ अ.जाति/अ.ज.जाति बाहुल क्षेत्र	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत

- योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल उपलब्ध राशि 269.09 लाख रू0 में से 171.05 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 54 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 04 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 50 कार्य प्रगति पर है।

6. **स्व–विवेक जिला विकास योजना** :– क्षेत्र में विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने व रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक बजट उपलब्ध कराया गया है। इस बजट को स्व–विवेक जिला विकास योजना का नाम दिया जाकर प्रारम्भ किया गया है। यह योजना 1988–89 में निर्बन्ध राशि योजना के नाम से प्रारम्भ की गई थी जो बजट के अभाव में 2000–2001 में बन्द हो गई। **पुनः नवम्बर 2006 से यह योजना स्व–विवेक जिला विकास योजना के नाम से प्रारम्भ** की गई है।

योजना के उद्देश्य :

- जिला कलक्टर द्वारा अनुभव की गई क्षेत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।

- समुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार

योजना की विशेषताएं :

- यह राज्य वित्त पोषित योजना है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।
- स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा की जाती है।
- योजना के कार्यों को अन्य योजना के साथ डवटेल किया जा सकता है।
- जन–सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है।
- कुल उपलब्ध राशि में से आलोच्य अवधि के दौरान 4.77 लाख रु0 व्यय किये जाकर 4 कार्य पूर्ण कराये गये है।

7. **श्री योजना** :– राज्य के सभी छोटे बड़े ग्रामों में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के उपरान्त भी अधिकांश ग्रामों में कुछ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क चिकित्सा आदि मूलभूत सुविधाओं की मांग निरन्तर बढ़ रही है। अतः गांवों के समग्र विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के चरणबद्ध विकास हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के समन्वय, पंचायती राज विभाग के अधीन विभागों तथा अन्य कार्यकारी विभागों की योजनाओं व वित्तीय संसाधनों के समन्वय से समग्र ग्राम विकास योजना क्रियान्वित कर सुदृढ आधारभूत ढांचा विकसित करना योजना का उद्देश्य है।

योजना 01 अप्रैल 2014 से भरतपुर संभाग में एवं 02 अक्टूबर 2014 से समस्त राजस्थान में लागू की गई है। योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागू है।

मूलभूत आवश्यकताएं :– समग्र विकास हेतु निम्न 5 (SHREE) मूलभूत आवश्यकताएं निम्न प्रकार से हैं–

S- ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण व तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

H- स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

R- Rural connectivity गांव की आन्तरिक सड़के मय नाली निर्माण एवं एप्रोच रोड

E- Education – शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं

E- Energy- ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था

8. **सांसद आदर्श ग्राम योजना :–** इस योजना का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा **11.10.2014 को लोकनायक जयप्रकाश की जयन्ती पर विज्ञान भवन, दिल्ली** में किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य प्रत्येक सांसद को एक पंचायत गोद लेकर उस पंचायत एवं लोगों का सम्पूर्ण विकास कर मॉडल पंचायत बनाना है। प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि "If we have to build the nation we have to start from the villages" प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि "If every MP transforms villages in his/her constituency into model villages, large number of villages in the country would have seen holistic development". वर्ष 2016 में एक तथा 2019 तक तीन पंचायतों को आदर्श ग्राम बनाना है इसके बाद 2024 तक पांच और पंचायतो को आदर्श पंचायतें बनाई जाने का लक्ष्य रखा गया है।

9. **मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना :–** महात्मा गांधी जी के अपने शब्दों में आदर्श भरतीय गांव इस प्रकार बना होगा कि वह पूर्णतः स्वच्छ हो। उस गांव के आस–पास पांच मील की परिधि में उपलब्ध सामग्री से कुटीरों में पर्याप्त रोशनी और हवा की आवाजाही की व्यवस्था होगी। गांव के रास्तों और गलियों में कोई धूल मिट्टी नहीं होगी। गांव में आवश्यकता अनुसार कुए होंगे और उनका जल सभी को उपलब्ध होगा। सार्वजनिक बैठक स्थल, पशुओं के लिए सार्वजनिक चारागाह, सहकारी डेयरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल होंगे, जिनमें औद्योगिक शिक्षा मुख्य घटक होगी और इस गांव में विवादों के समाधान के लिए पंचायतें होंगी। गांव के लिए खाद्यान्न, सब्जियों और फलों तथा खादी का उत्पादन भी गांव में ही होगा।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया का संदेश (वीजन)

Department will endeavour to ensure inclusive development of rural economy by revamping social and physical infrastructure, increased employment opportunities and skill upgradation with special attention to women, disadvantaged and marginalized section of rural society.

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदया के विजन को सार्थक करना है। **योजना वर्ष 2015–16 से सेजी से प्रभावित होकर प्रारम्भ की गई है।**

उद्देश्य :

1. निर्धारित ग्राम पंचायतों के विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
2. आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निम्न कार्य कराये जायेंगे।
    1. उन्नत बुनियादी सुविधाएं
    2. अधिकतम उत्पादकता
    3. गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना
    4. बेहतर मानव विकास
    5. बेहतर आजीविका के अवसर

6. असमानता में कमी
7. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना
8. वृहत सामाजिक एकजुटता
9. समृद्ध सामाजिक पूंजी

योजना में मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में गोखरी, पिलानी में हमीनपुर, सूरजगढ़ में भैंसावता खुर्द, खेतड़ी में बसई, उदयपुरवाटी के लिए टीटनवाड़ व झुझुनूं विधानसभा क्षेत्र के लिए ग्डिानिया ग्राम पंचायत का चयन किया गया है।

3. आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आस–पास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।

योजना के अन्तर्गत मण्डावा विधान सभा के लिए **गोखरी**, पिलानी के लिए **हमीनपुर,** सूरजगढ़ के लिए **भैंसावता खुर्द**, खेतड़ी के लिए **बसई**, उदयपुरवाटी के लिए **टीटनवाड़** एवं झुझुनूं के लिए **गिडानियां** ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

10. **मिड डे मील कार्यक्रम** :– राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के समस्त राजकीय विधालयो में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहे छात्रो को विधालय में भोजन अवकाश के दौरान कक्षा 1 से 5 के छात्रो को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा कक्षा 6 से 8 के लिये 700 केलोरी और 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है । **योजना 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में लागू की गई है।**

योजना का उदेश्य :–

- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढावा देने हेतु नामांकन,उपस्थिति में वृद्धि , ड्रोपआउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढावा देना ।
- प्राथमिक , उच्च प्राथमिक स्तर तक छात्रो के पोषण स्तर में वृद्वि करना ।
- सामाजिक समानता को बढावा देना, तथा समाज के निर्धन परिवारो की महिलाओ को नियमित रोजगार उपलब्ध करवाना ।
- सूखाग्रस्त क्षेत्रो में ग्रीष्मावकाश के दौरान पोषण सहायता देना ।

कार्यक्रम के अन्तर्गत देय विभिन्न सहायताएं :–

- खाधान्न (गेहूँ एवं चावल):– भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के छात्रो के लिये 100 ग्राम प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रो के लिये 150 ग्राम खाधान्न प्रति छात्र प्रति शेक्षणिक दिवस उपलब्ध करवाया जाता है ।

- भोजन पकाने की लागत राशि :– भारत सरकार से प्राप्त होने वाले खाधान्न के अतिरिक्त अन्य सामग्री जैसे दाल,सब्जिया,खाना पकाने का तेल , मसाले , ईन्धन आदि पर व्यय करने हेतु भोजन

पकाने की लागत राशि भारत / राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है । वर्तमान में प्रति छात्र प्रति शैक्षणिक दिवस निम्नानुसार राशि उपलब्ध करवाई जा रही है :–

वर्तमान में भोजन पकाने की अनुमत राशि				
क्र.सं.	कक्षा	राज्य मद	केन्द्रीय मद	कुल
1.	1 से 5	2.82	0.94	3.76
2.	6 से 8	4.23	1.41	5.64

- बर्तन एवं भोजन पकाने के उपकरण सहायता :– भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विधालय में भोजन पकाने एवं खाने के बर्तन उपलब्ध कराने हेतु 5000 रू औसत रूप से उपलब्ध करवाने का प्रावधान है ।
- जिले में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक 66553 एवं कक्षा 6 से 8 तक 41258 कुल 1,07,811 छात्रों को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

11. **तेरहवां वित्त आयोग** :– राजस्थान राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 (5 वर्ष) अवधि के लिए इस अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुद्धढ़ करना स्वच्छता, शौचालय। मूत्रालय निर्माण ग्रामीण वातावरण में साफ सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आदि के कार्य करवाये जाते है। **योजना की अवधि 31 मार्च 2015 को पूर्ण हो चुकी है।** जिले को प्राप्त राशि की 3 प्रतिशत जिला परिषद 12 प्रतिशत पंचायत समिति तथा 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत को आवंटित की जाती है।

    - योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 1534.63 लाख रू0 में से 1188.68 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 444 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा वर्तमान में 326 कार्य प्रगति पर हैं।

12. **राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ)** :– चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशानुसार पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष **2010–11 से यह अनुदान राशि निर्बन्ध अनुदान के रूप से हस्तांतरित की जा रही है।** योजना में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता एवं सफाई (**जिसमें सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों का निर्माण शामिल है, गलियों व सड़को पर प्रकाश व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का रखरखाव सार्वजनिक परिस्थितियों का रखरखाव, तथा इन सेवाओं के संबर्द्धन, सुद्वढीकरण एवं विस्तार के कार्य करवाये जाते है।** राशि का उपयोग योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षक एवं देखरेख के लिए भी किया जा सकता है। जिले को प्राप्त राशि की 3 प्रतिशत जिला परिषद 12 प्रतिशत पंचायत समिति तथा 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत को आवंटित की जाती है।

    - योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 2485.29 लाख रू0 में से 1718.93 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 608 .कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा वर्तमान में 319 कार्य प्रगति पर हैं।

13. **निर्बन्ध राशि (पी.आर.आई)** :– पंचायतीराज संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य योजनाएं बनाने तथा इनके वित्तीय सशक्तिकरण करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष **2011–12 से निर्बन्ध राशि** (पंचायतीराज संस्थाओं हेतु) योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विभिन्न योजनाओं में **स्थाई प्रकृति के अपूर्ण रहे कार्यों को पूर्ण करना/मरम्मत एवं विस्तार कार्य, जल स्त्रोत उपलब्धता के कार्य एवं जल संग्रहण के कार्य, स्वच्छता एवं सुविधाओं के कार्य तथा विलेज मास्टर प्लान अनुमोदन होने के पश्चात ऐसे कार्य जो अन्य योजना में अनुमत नहीं है,** करवाये जा सकते है। जिले को प्राप्त राशि की 3 प्रतिशत जिला परिषद 12 प्रतिशत पंचायत समिति तथा 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत को आवंटित की जाती है।

- योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 1184.30 लाख रू0 में से 855.57 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 213 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा वर्तमान में 185 कार्य प्रगति पर हैं।

14. **चौदहवां वित्त आयोग योजना** :– तेरहवां वित्त आयोग योजना की समाप्ति के बाद यह योजना वर्ष **2015–16 से 2019–20 (5 वर्ष के लिए शुरू की गई है। इस योजना में पेयजल आपूर्ति हेतु कुओं व टंकियों का निर्माण, पाईप लाईन, पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यो जीर्णोद्वार व संवर्धन, सार्वजनिक शौचालय, नाली निर्माण साफ–सफाई व्यवस्था सामुदायिक परिसम्पतियों, पार्क, मैदान, श्मशान, कब्रिस्तान के रखरखाव स्ट्रीट लाईट एवं प्रकाश व्यवस्था के कार्य करवाये जा सकेंगें।**

- राशि माह नवम्बर 2015 में ही प्राप्त हुई है अतः अभी कोई व्यय नहीं किया गया है।

15. **राज्य वित्त आयोग (पंचम)** :– राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के स्थान पर यह योजना वर्ष 2015–16 से 5 वर्ष के लिए शुरू की गई है। योजना में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूपे कार्य करवाये जा सकेगें। जिले को प्राप्त राशि की 5 प्रतिशत जिला परिषद 15 प्रतिशत पंचायत समिति तथा 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत को आवंटित की जायेगी। योजना में 14.98.करोड़ रू0 की राशि प्राप्त हुई है। **योजना के दिशा निर्देश प्राप्त नहीं** होने के कारण कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है।

16. **क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन** :– यह योजना वित्तीय **वर्ष 2011–12 से चालू** है। योजना में प्राप्त राशि का उपयोग पंचायतीराज संस्थाओं के लिए जारी **निर्बन्ध कोष योजना के दिशा निर्देशानुसार किया जाता है।**

- योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 397.13 लाख रू0 में से 227.29 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 61 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा वर्तमान में 66 कार्य प्रगति पर हैं।

17. **यूरोपियन संघ–राज्य साझेदारी कार्यक्रम** :– के तहत यूरोपियन संघ राज्य को जल निति के क्रियान्वयन में राज्य सरकार को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्धेश्य राजस्थान के चयनित जिलों एवं ब्लॉकों में पंचायतीराज संस्थान स्तर पर सशक्त एवं एकीकृत जल प्रबंधन का लक्ष्य प्राप्त करने में वृहत् स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम का प्रथम उद्धेश्य राजस्थान सरकार को जल क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम कर द्वितीय उद्धेश्य एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को ग्राम पंचायत स्तर पर सतत एवं सुदद्ध करना

है। योजना में जिले की झुन्झुनूं चिड़ावा, नवलगढ़, बुहाना, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2.00 लाख रूपये राशि आवंटित की गई है। योजना में जल संसाधन एवं जल सुरक्षा, जल बचत के कार्य करवाये जा रहे है।

- योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि में से 361.57 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 338 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा वर्तमान में 44 कार्य प्रगति पर हैं।

18. **निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम :–** भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 में प्रारम्भ किया गया है। स्वच्छता के सात घटक निम्न प्रकार से हैं।

अ. व्यक्तिगत स्वच्छता।
ब. सामुदायिक स्वच्छता।
स. पेयजल का सुरक्षित रख रखाव।
द. मानव मल का सुरक्षित निपटान।
य. भोजन की स्वच्छता।
र. गन्देपानी की सुरक्षित निकासी।
ल. गोबर एवं ठोस कचरे का निपटान।

इस अभियान का मूल उद्देश्य 2012 तक भारत को खूले में शौच से मुक्त करना था जिसके मुख्य अवयव निम्नानुसार थे।

– प्रारम्भिक गतिविधियां।
– आई.ई.सी. गतिविधियां।
– ग्रामीण स्वच्छता।
– जिलों में चक्रीय राशि का प्रावधान।
– व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण।
– सामुदायिक स्वच्छता।
– संस्थागत शौचालयों का निर्माण।
– ठोस एवं तरल कचरे का प्रबंधन।

ओ.डी.एफ. सूचना –

विवरण	अलसीसर	ब्रुहाना	चिड़ावा	झुंझुनूं	खेतड़ी	नवलगढ़	सूरजगढ़	उदयपुरवाटी
कुल ग्राम पंचायत	34	43	28	37	41	40	38	40
ओडीएफ	34	10	28	37	15	24	38	35
शेष पंचायत	00	33	00	00	26	16	00	05

सन् 2012 में इस कार्यक्रम का नाम बदल कर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। 02.10. 2014 को राजघाट, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधीजी की यादगार में उक्त अभियान

के साथ स्वच्छ भारत अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ सड़को की सफाई कर किया गया है।

लक्ष्य 2015–16			उपलब्धि 2015–16			
बीपीएल + एपीएल	एपीएल अन्य	कुल व्यक्तिगत परिवार शौचालय (IHHL)	बीपीएल + एपीएल	एपीएल अन्य	कुल व्यक्तिगत परिवार शौचालय (IHHL)	प्रतिशत एवं राज्य में रैंक
21174	4999	26173	33483	7906	41389	158.13

ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्ध हेतु 7 ग्राम पंचायतों में 68 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 35 कार्य पूर्ण हो चुके है जिनपर 38.91 लाख रू0 का व्यय किया गया है। 33 कार्य प्रगति पर हैं।

19. माडा योजना :–

भारतीय संविधान में जनजाति विकास के लिये भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी।

विभाग के उद्धेश्य -> अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास, जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन।

झुंझुनूं जिला बिखरी जनजाति क्षेत्र में आता है जिसके अन्तर्गत सैकेण्डरी कक्षा प्रथम श्रेणी उर्तीण होने पर जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण, छात्र/छात्राओं के 10 वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर एवं 11वीं एवं 12वीं में 48 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर छात्रवृति योजनान्तर्गत 3500/– दस माह तक प्रदान किये जाते हैं एवं जनजाति के बीपीएल परिवार के कुऍ की मोटर तथा बिजली कनेक्शन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दस–दस हजार रूपये की सहायता का प्रावधान रखा गया है।

- योजना में वर्ष 2015–16 में 47 छात्र/छात्राओं को 176500 रू0 छात्रवृति के रूप में वितरित की गई है।

20. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन :–

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के प्रावधानों में संशो0 कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) पर आंवटित किये जा सकेगी।

21. जनता जल योजना :–

पीएचईडी द्वारा 01.04.2011 से जनता जल योजना पंचायती राज संस्थाओं कों संचालन एवं संधारण हेतु हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2011–12 से ही पंचायती राज विभाग के बजट मद में राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में अंशकालिक पंम्पचालकों को न्यूनतम मजदूरी दर की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है। दिनांक 01.07.2015 से राशि रूपये 94.50 प्रतिदिन की दर से 2457/– प्रतिमाह पम्पचालकों को भुगतान किया जा रहा है तथा योजनान्तर्गत संचालित जलस्त्रोतों के बिलों का भुगतान किया जाता है।

22. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना :–

योजना वर्ष 2009–10 से चालू है। इसमें नवीन ग्राम पंचायत भवन तथा ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत एवं विस्तार जैसे कार्य करवाये जाते है। वर्ष 2013–14 से उक्त योजना को बदलकर राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान कर दिया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य पंचायतों को सशक्त एवं जवाबदेय बनाना है।

- योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि में से 39.10 लाख रू0 का व्यय किया जाकर 8 पंचायत भवनों का कार्य पूर्ण कराया गया है।

23. ग्रामीण आधारभूत विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.–17) :–

यह योजना वर्ष 2012–13 से संचालित है। इसके अन्तर्गत नाबार्ड के सहयोग से पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर एवं भू अभिलेख सूचना केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।

- योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि में से 637.10 .लाख रू0 का व्यय किया गया है। 8 किसान सेवा केन्द्र पंचायत समिति स्तर पर एवं 62 किसान सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्ण कराये गये हैं तथा वर्तमान में 5 पंचायत स्तर के किसान सेवा केन्द्रों का..कार्य प्रगति पर हैं।

24. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिला परिषद (ग्रा0वि0प्र0) झुंझुनू (राज0)

उद्देश्य :–

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन से सम्बंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है। इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भारत सरकार, केन्द्र सरकार व बाहय् एजेन्सियों के वित्त सहयोग द्वारा किया जाता है।

वर्तमान मे परिषद् द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह आधारित चार परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन चार परियोजनाओं के अन्तर्गत 248 विकास खण्डों में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जायेगा। राज्य में राजीविका द्वारा संचालित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

1. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (RRLDP)
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP)
4. पश्चिमी राजस्थान निर्धनता शमन कार्यक्रम (MPOWER)

वर्तमान में जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के अन्तर्गत ब्लॉक–सूरजगढ़ नॉन इन्टेसिव ब्लॉक के रूप में तथा ब्लॉक–बुहाना में इन्टेसिव ब्लॉक के रूप में कार्य किया जा रहा है। इन्टेसिव ब्लॉक में मैत्री महिला मण्डल, दूनी (टोंक) की आन्तरिक सीआरपी टीम द्वारा समूह गठन तथा पोषण कार्य किया जा रहा है। कलस्टर बुहाना में सीआरपी टीम द्वारा पॉच राउण्ड़ किये जाकर 11 गॉवों में समूह गठन का कार्य किया गया है। ब्लॉक में कुल 184 समूहों का गठन कर 125 स्वयं सहायता समूहों को ट्रॉच–1 (RF) राशि जारी की गयी है।

परिषद् द्वारा राज्य में चरणबद्ध रूप से कार्य किया जायेगा। इस के अनुसार राज्य में 2016–17 में समस्त जिले, 2018–19 में समस्त ब्लॉक तथा 2021–22 में समस्त गॉवो को योजना से जोड़ दिया जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झुझुनूं

कार्यालय जिला परिषद, झुंझुनूं

जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाएं :

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना :–
2. आवास योजनाएं :–
    - इन्दिरा आवास योजना :–
    - अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना :–
3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :–
4. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :–
5. गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना :–
6. स्व–विवेक जिला विकास योजना :
7. श्री योजना :
8. सांसद आदर्श ग्राम योजना :–
9. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना :
10. मिड डे मील कार्यक्रम :–
11. तेरहवां वित्त आयोग :–
12. राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ) :–
13. निर्बन्ध राशि (पी.आर.आई) :–
14. चौदहवां वित्त आयोग योजना :–
15. राज्य वित्त आयोग (पंचम) :–
16. क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन :–
17. यूरोपियन संघ–राज्य साझेदारी कार्यक्रम :–
18. निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम :–
19. माडा योजना :–
20. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन :–
21. जनता जल योजना :–
22. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना :–
23. ग्रामीण आधारभूत विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.–17) :–
24. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद,